



जयपुर विकास प्राधिकरण

इंदिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक: जविप्रा/प्र.श.केसं/2022

दिनांक:-05.08.2022

नियमन कैम्प कार्यक्रम

राज्य सरकार नगरीय विकास विभाग के द्वारा जविप्रा जोनों में स्थित कालोनियों के नियमन/आवंटन हेतु समय-समय पर जारी विभिन्न आदेशों/परिपत्रों की अनुपालना में गृह निर्माण सहकारी समितियों/विकास समितियों/निजी खातेदारों द्वारा जमा कराए गए योजनाओं के रिकार्ड के आधार पर जाने में निम्नांकित आवासीय योजनाओं का प्रशासन शहरों के संग अभियान,2021 के अन्तर्गत नियमन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। समस्त आवेदक अपने भूखंड से संबंधित सभी मूल दस्तावेजों का सत्यापन नागरिक सेवा केन्द्र, जविप्रा परिसर में योजना की शिविर दिनांक को करवाना सुनिश्चित करावें।

पीआरएन उत्तर-प्रथम लीज होल्ड से फ्री होल्ड

क्र.सं.	दिनांक	जोन	सोसायटी का नाम	योजना का नाम	शिविर स्थल
1.	06.08.2022	पीआरएन (उत्तर-प्रथम)	भैरव गृ.नि.स.स.	गोविन्द नगर-ए	जोन कार्यालय
2.	12.08.2022	पीआरएन (उत्तर-प्रथम)	भैरव गृ.नि.स.स.	गोविन्द नगर-बी	
3.	13.08.2022	पीआरएन (उत्तर-प्रथम)	भैरव गृ.नि.स.स.	गोविन्द नगर-सी	
4.	18.08.2022	पीआरएन (उत्तर-प्रथम)	विवेकानन्द गृ.नि.स.स.	गोविन्द नगर विस्तार	गोकुल नगर, जेडीए स्कीम गोकुलपुर जयपुर।
5.	20.08.2022	पीआरएन (उत्तर-प्रथम)	जेडीए स्कीम	गोकुल नगर	
6.	25.08.2022	पीआरएन (उत्तर-प्रथम)	हसनपुरा-ए गृ.नि.स.स.	हरी नगर	
7.	26.08.2022	पीआरएन (उत्तर-प्रथम)	भैरव गृ.नि.स.स.	अमर नगर-सी	
8.	27.08.2022	पीआरएन (उत्तर-प्रथम)	हथरोई गढ़ गृ.नि.स.स.	संस्कार विहार-सी	

जोन-8

क्र.सं.	दिनांक	जोन	सोसायटी का नाम	योजना का नाम	शिविर स्थल
9	27.08.2022	8	निजी खातेदारी	पार्श्वनाथ नारायण सिटी विस्तार	सामुदायिक केंद्र पत्रकार कॉलोनी

शिविर संशोधन सूचना

राज्य सरकार नगरीय विकास विभाग के द्वारा जविप्रा जोनों में स्थिति कालोनियों के नियमन/आवंटन हेतु समय-समय पर जारी विभिन्न आदेशों/परिपत्रों की अनुपालना में नियमन शिविर निरंतर रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। जोन-12 में अगस्त माह में नियमन शिविर में संशोधन निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	जोन	पूर्व में आयोजित शिविर की दिनांक	संशोधित शिविर दिनांक
1.	12	12.08.2022 13.08.2022	17.08.2022 18.08.2022
2	8	18.08.2022 से 20.08.2022	18.08.2022 व 20.08.2022

उपरोक्त योजनाओं की सदस्यता सूची जविप्रा की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर आमजन के अवलोकन हेतु उपलब्ध है। उक्त योजनाओं की सदस्यता सूचीके संबंध में अथवा अन्य कोई आपत्ति यदि किसी व्यक्ति/संस्था को हो तो कैम्प दिवस या 7 दिवस (जो भी कम हो) में संबंधित जोन उपायुक्त के कार्यालय में प्रस्तुत करें।

- ◆ कैम्प में डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.)/बैंकर चैक के माध्यम से भी राशि स्वीकार्य।
- ◆ डी.डी. राशि अधिक होने पर आधिक्य राशि का रिफण्ड देय।
- ◆ कैम्प में इन्टरनेट बैंकिंग से भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध।
- ◆ कैम्प में नागरिक सेवा केन्द्र में आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे।

सचिव